

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

5

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

- | | | |
|----|--|--|
| 10 | (1) जहां कुल आय 1,50,000 रु से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| | (2) जहां कुल आय 1,50,000 रु से अधिक है किंतु 3,00,000 रु से अधिक नहीं है | उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु से अधिक हो जाती है; |
| | (3) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक है किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है | 15,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु से अधिक हो जाती है ; |
| 15 | (4) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है | 55,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है । |

(II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

- | | | |
|----|--|--|
| 20 | (1) जहां कुल आय 1,80,000 रु से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| | (2) जहां कुल आय 1,80,000 रु से अधिक है किंतु 3,00,000 रु से अधिक नहीं है | उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,80,000 रु से अधिक हो जाती है ; |
| | (3) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक है किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है | 12,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु से अधिक हो जाती है ; |
| 25 | (4) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है | 52,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है । |

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

- | | | |
|----|--|--|
| 30 | (1) जहां कुल आय 2,25,000 रु से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| | (2) जहां कुल आय 2,25,000 रु से अधिक है किंतु 3,00,000 रु से अधिक नहीं है | उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,25,000 रु से अधिक हो जाती है ; |
| | (3) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक है किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है | 7,500 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु से अधिक हो जाती है ; |
| | (4) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है | 47,500 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है । |

35

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

40 (ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

45

आय-कर की दरें

- | | |
|--|---|
| (1) जहां कुल आय 10,000 रु से अधिक नहीं है | कुल आय का 10 प्रतिशत ; |
| (2) जहां कुल आय 10,000 रु से अधिक है किंतु 20,000 रु से अधिक नहीं है | 1,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 20,000 रु से अधिक है | 3,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु से अधिक हो जाती है । |

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

5

प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा घ

10

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

15

I. देशी कंपनी की दशा में

कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; अथवा

20

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस, और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, वहां

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

25

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से ;

30

परंतु ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:—

आय-कर की दर

1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—

(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—

(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर

10 प्रतिशत ;

40

(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर

30 प्रतिशत ;

(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर

30 प्रतिशत ;

(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर

10 प्रतिशत ;

(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर —

10 प्रतिशत ;

(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;

45

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;

(इ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;

(vi) किसी अन्य आय पर

10 प्रतिशत ;

50

	(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
	(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
	(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
5	(आ) धारा 115ड में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
	(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
	(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
10	(उ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उपगत उधार लिए गए धन या ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
15	(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—	
	(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
	(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
20	(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में (जो उपमद (ख)(i)(च) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है), आय पर,—	
	(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
25	(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
	(ए) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
30	(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
	(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
	(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
	(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
35	(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
	(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
40	(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—	
45	(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
	(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
	(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में (जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है), आय पर,—	
50	(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
	(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;

(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—		5
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;	
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;	10
(ए) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;	
(ऐ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।	
2. किसी कंपनी की दशा में,—		
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—		15
(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;	
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;	
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—		20
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;	
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;	
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है—		25
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;	
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;	
(इ) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] —		35
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;	
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;	40
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;	
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—		45
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;	
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;	
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;	
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;	50
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;	
(viii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;	
(ix) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत।	

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख) (i) के प्रयोजन के लिए, “विनिधान से आय” और “अनिवासी भारतीय” के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं।

आय-कर पर अधिभार

इस भाग की मद 2(ख) के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में, देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17क के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115अख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में “अग्रिम कर” नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115ड या धारा 115अख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे “अग्रिम कर” पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(i) इस पैरा की मद (ii) और मद (iii) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,60,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,60,000 रु० से अधिक है, किंतु 3,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,60,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	14,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है	54,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है।

(ii) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,90,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,90,000 रु० से अधिक है, किंतु 3,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,90,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	11,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है	51,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है।

(iii) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,40,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 2,40,000 रु० से अधिक है, किंतु 3,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,40,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक है किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	6,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,40,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है	46,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है, किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है	3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

पैरा घ

5

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

10

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में

कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; या

15

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

20

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से,

25

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

भाग 4

[धारा 2(12)(ग) देखिए]

30

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

35

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “कारखाने या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

40

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “गृह-संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

45

(क) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ii) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ; 5

(iv) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ; 10

(vi) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ; 15

(vii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हिसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी । 20

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी ने इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी । 25

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं । 30

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।